

## INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP85058182274928U

03-Sep-2022 11:46 AM

IMPACC (SH)/ upshimp17/ AKBARPUR/ UP-AMB

SUBIN-UPUPSHIMP1762482722579710U

VISIS ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN

ford 1

Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement

Not Applicable

VISIS ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN

Not Applicable

V S S ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN

(One Hundred only)





Please write or type below this line (प्रारूप-अ)

संत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप:-

हम सुषमा त्रिपाठी एवं सुनील कुमार त्रिपाठी क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक वी०एस०एस० एजूकेशनल एकेडमी समिति पता- ग्राम-बरवा बैरमपुर पोस्ट -अकबरपुर तहसील- अकबरपुर जनपद- अम्बेडकर नगर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

- यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा महर्षि योगीराज देवरहा बाबा महाविद्यालय पता— ग्राम व पोस्ट-तेन्दुआई कला तहसील- आलापुर जनपद- अम्बेडकर नगर नार्मक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- 2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम महर्षि योगीराज देवरहा बाबा महाविद्यालय पता- ग्राम व पोस्ट-तेन्दुआई कला तहसील- आलापुर जनपद- अम्बेडकर नगर मे गाटा संख्या 249ख रकबा 1. 012हे0 मृमि है।
- 3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और मुमि विवाद रहित है।

The authorisody of this Stamp certificate should be verified at "www.sholestramp.com" or using e-Stamp Mobile App or Stock Holding Any discrepancy in the defails on this Certificate and as available on the wirbuite / Mobile App renders it invented.

The onus of checking the legismacy is on the users of the contribute In case of any discrepancy please inform the Compotent Authority

 यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 249ख रकबा 1. 012है0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि,उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु मवनों का निर्माण

अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

 यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के

नियमों के अर्त्तगत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

 यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफॅ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया

- यह कि,उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अनुमोदित / सम्बद्ध परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है. और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
- 10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफें इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सूसज्जित किया जायेगा।
- 11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाप की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
- 12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूगां। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेत् मेरे, द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

में क्षापुण करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से पुल्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते को मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी व्यविक कार्यवाही हेत् में स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।